राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1672/2015/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1673/2015/जयपुर.
3. अपील संख्या – 1674/2015/जयपुर.
4. अपील संख्या – 1675/2015/जयपुर.
5. अपील संख्या – 1676/2015/जयपुर.

मैसर्स एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत–के, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त पांच अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 234, 235, 236, 237 व 238/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2015–16 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 15.9.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत–के, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिये वेट अधिनियम की धारा 4, 25 व 55 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. **प्रकरण के तथ्य संक्षेप में** इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का दिनांक 09.01.2014 को सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के पश्चात् यह पाया जाने पर कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर से एडिबल ऑयल का लूज टैंकर में माल का आयात किया गया उस माल को छोटे पैक में पैकिंग कर कुछ माल राज्य के भीतर बिक्री किया गया, शेष माल स्टॉक ट्रांसफर के

लगातार..............2

जरिये अन्य राज्य में भेजा गया। इसी तरह माल की पैकिंग हेतु समस्त माल राज्य के बाहर से अन्तर्राज्यीय क्रम में खरीद किया गया। इन तथ्यों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह विधिक अवधारणा प्रस्तुत की गयी कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो माल राज्य के बाहर से खरीद किया गया है उस माल की बिक्री राज्य में नहीं कर राज्य के बाहर अन्य राज्यों को स्टॉक ट्रांसफर की गयी है। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम, 1994'** कहा जायेगा) की धारा 11 के तहत क्रय कर आरोपण करने सम्बन्धी प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बांसवाड़ा बनाम ज्ञायक मार्केटिंग, बांसवाड़ा अपील संख्या 62/2008 निर्णय दिनांक 16.03.2012** के अनुसार क्रय कर का दायित्व मानते हुए उस माल की कीमत पर वेट अधिनियम की धारा 4 के तहत क्रय कर का आरोपण 5 प्रतिशत से किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.03.2012 के आधार पर आरोपित क्र्य कर की पुष्टि की गयी एवं अपीलें अस्वीकार की गयी, जिससे व्यथित होकर यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा समस्त माल जो राज्य के बाहर से खरीद किया गया था एवं जिसे राज्य में विक्रय नहीं कर उसे अन्य राज्यों को स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गया था। कथन किया कि स्टॉक ट्रांसफर पर वेट अधिनियम की धारा 4 के तहत क्रय कर का जो आरोपण किया गया है वह अविधिक है क्योंकि राज्य के बाहर से की गई खरीद पर अधिनियम, 2003 के तहत किसी भी तरह की खरीद पर कर आरोपित किये जाने की शक्तियां नहीं हैं। उन्होंने कथन किया कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 3 के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यवहार के क्रम में बिक्री पर कर उद्ग्रहित करने का अधिकार विक्रेता राज्य को ही दिया गया है एवं क्रेता राज्य को उस माल की खरीद पर किसी भी तरह का कर लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किये बिना ही इस अधिनियम के प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम के संव्यवहारों पर लागू कर दिया है, जो क्षेत्राधिकार से बाहर है।

लगातार..............3

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, 265, 286 एवं अनुसूची-सप्तम में दी गयी शक्तियों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि अन्तर्राज्यीय क्रम में होने वाले संव्यवहारों पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत ही करारोपण का अधिकार प्राप्त होता है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य के वेट अधिनियम के तहत उन विक्रय व्यवहारों पर करारोपण किया गया है जो कि केन्द्रीय अधिनियम से ही शासित हो सकते हैं।

7. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य के भीतर की गई खरीद को अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज (a) to (g) के अधीन विक्रय नहीं किये जाने पर उस माल की खरीद राशि पर अनुसूची-3 से 6 में प्रावधित दरों के अनुसार कर आरोपित करने के प्रावधान किये गये हैं। स्पष्ट है कि वेट अधिनियम की धारा 4(2) के तहत उन खरीद पर ही करारोपण किया जा सकता है जो राज्य के भीतर की गयी हो। राज्य के बाहर से किसी भी तरह की खरीद एवं बिक्री के मामलों में कर का आरोपण केन्द्रीय अधिनियम के तहत ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 4(2) का उपयोग प्रथम दृष्टया ही अविधिक होने से पारित आदेश एवं अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

8. विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम विजय इण्डस्ट्रीज (2015) 42 टैक्स अपडेट 41** का हवाला देते हुए कथन किया कि इस प्रकरण में कर बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट अवधारित किया जा चुका है कि राज्य के भीतर की खरीद पर ही क्रय कर का आरोपण किया जा सकता है। इसी तरह **मैसर्स ज्ञायक मार्केटिंग बांसवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील संख्या 2232/2006 निर्णय दिनांक 26.07.2012** का हवाला देते हुए कथन किया कि राज्य के भीतर से खरीद नहीं होने की स्थिति में क्रय कर का आरोपण अविधिक है एवं अपास्त योग्य है। इसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **पोलस्टार इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० बनाम अतिरिक्त आयुक्त, सेल्स टैक्स व अन्य (1978) 41 एस.टी.सी. 409 (एस. सी.)** एवं **आई.टी.सी. लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर 58 एस. टी.सी. 193 (पटना)** के निर्णय का हवाला देते हुए कथन किया कि अन्तर्राज्यीय बिक्री संव्यवहारों के मामले में राज्य के अधिनियम के तहत कोई कर आरोपणीय नहीं हो सकता है फलतः अन्तर्राज्यीय क्रम में की गई खरीद एवं स्टॉक ट्रांसफर से लाये गये माल को अन्य राज्य में स्टॉक ट्रांसफर किये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोपित क्रय कर को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार..............4

9. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय आदेश, कर निर्धारण आदेश व उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया।

11. उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक एवं विधि का एकमात्र बिन्दु यह विवादित है कि वेट अधिनियम की धारा 4(2) के तहत क्या उस माल के टर्नओवर पर भी कर आरोपित किया जा सकता है जो राज्य के भीतर खरीद न कर राज्य के बाहर से खरीद किया गया हो तथा अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में क्रय किये गये माल को वेट अधिनियम की धारा 18(1) (a) to (g) के अनुसार विक्रय नहीं होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 4(2) के तहत उसकी खरीद राशि पर कर का आरोपण किया जा सकता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 4 का उद्धरण किया जाना उचित होगा :—

4. Levy of tax and its rate. –

(1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at such point or points, as may be prescribed, in the series of sales by successive dealers and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules.

(2) Every dealer who in the course of his business purchases any good other than exempted goods in the circumstances in which no tax under sub–section (1) is payable on the sale price of such goods and the goods are disposed off for the purpose other than those specified in clause (a) to (g) of sub–section (1) of section 18, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the rate mentioned against each of such goods in Schedule–III to Schedule VI of the Act.

(3) Notwithstanding anything contained in sub–section (1), the tax payable by the dealer covered by sub–section (2) of section 3, shall be levied at the rate not exceeding two percent on the turnover, as may be notified by the State Government.

(4) Where any goods are sold packed in some material, whether charged for separately or not, notwithstanding anything contained in sub–section (1), the tax liability of and the rate of tax on the packing material shall be according to the tax liability of and the rate of tax on the goods packed therein.

लगातार..............5

(5) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedules, prospectively or retrospectively, or reduce the rate of tax payable in respect of any goods and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(6) Every notification issued under sub-section (5) shall be laid, as soon as may be after it is so issued, before the House of the State Legislature, while it is in session for period of not less than thirty days which may comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in such notification or resolves that any such notification should not be issued, such notification thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

(7) Notwithstanding anything contained in this Act, any registered dealer, who imports into, or manufactures in, the State such goods as may be notified by the State Government, may, at his option, pay, in lieu of the tax payable by him on sale price of such goods under this Act, a tax at full rate on the maximum retail price of such goods in the manner as may be prescribed:

Provided that where a dealer has purchased any goods –

(a) from aforesaid importer or manufacturer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods; or

(b) from another registered dealer where tax on the maximum retail price of such goods was paid in the State on an earlier occasion,

the purchasing dealer, irrespective of whether he is registered or not, while making resale of such goods in the State, shall, notwithstanding anything contained elsewhere in the Act, be entitled to recover from the buyer the amount of tax paid by him at the time of purchase of such goods under such conditions and restrictions, and in such manner, and within such time, as may be prescribed.

12. उक्त धारा 4 वेट अधिनियम का वह प्रावधान है जिसमें वेट अधिनियम के तहत राज्य में की गई खरीद बिक्री पर कर आरोपण के प्रावधान हैं। स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी ऐसी खरीद गा बिक्री पर कर का आरोपण नहीं किया जा सकता जो अन्तर्राज्यीय क्रम में किये गये संव्यवहार हों, अर्थात् वेट अधिनियम के तहत केवल राज्य के भीतर की गई खरीद या राज्य के भीतर की गई बिक्री पर ही कर उद्ग्रहण के प्रावधान लागू होते हैं। जहां तक अन्तर्राज्यीय क्रय विक्रय का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत ही कर का उदद्ग्रहण किया जा सकता है।

लगातार...............6

13. कर निर्धारण आदेश में अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में खरीद किये गये माल को पुनः अन्तर्राज्यीय क्रम में स्टॉक ट्रांसफर किये जाने पर राज्य के वेट अधिनियम के तहत जो कर का आरोपण किया गया है वह विधिक दृष्टि से उचित है या नहीं, इसका परीक्षण अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में किया गया। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय वास्तव में कर बोर्ड के निर्णय **ज्ञायक मार्केटिंग अपील संख्या 62/2008 निर्णय दिनांक 16.03.2012** के आधार पर किये गये हैं, जिसमें कर बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया था कि राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल पर क्रय कर का दायित्व बनता है। इसी तरह कर निर्धारण आदेश में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2005) 13 टैक्स अपडेट 319** का भी हवाला देते हुए अनुकरणीय बताया गया है कि उस प्रकरण में अभिकर्ता द्वारा राज्य के भीतर विक्रय हेतु लाये गये माल को अभिकर्ता अपने प्रिंसिपल के अकाउण्ट से स्वयं के (घरू खाते में) स्थानान्तरित कर देता है एवं उस माल को पुनः राज्य के बाहर विक्रय हेतु भेजता है एवं विक्रय मूल्य पर अधिनियम की धारा 4 या 12 के तहत कर अदा नहीं करने पर अधिनियम 1994 के तहत क्रय कर देय होगा। उक्त दोनों ही निर्णयों का अध्ययन किया गया। जहां तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय **13 टैक्स अपडेट 319** का प्रश्न है, उस प्रकरण में तथ्य पूर्णतया भिन्न थे, वे यह थे कि उस प्रकरण में माल का पहले अन्तर्राज्यीय स्टॉक ट्रांसफर राज्य के बाहर के प्रिंसिपल द्वारा स्वयं के अकाउण्ट में एजेन्ट को किया गया था परन्तु बाद में प्रिंसिपल द्वारा राज्य के भीतर उस माल का विक्रय एजेन्ट को कर दिया गया था क्योंकि प्रिंसिपल के खाते से एजेन्ट के खाते में माल के अन्तरण को राज्य के भीतर का विक्रय एवं एजेन्ट की खरीद ही मानी गयी एवं एजेन्ट द्वारा राज्य के भीतर माल की खरीद करने के पश्चात् उस माल को राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 11 के तहत क्रय कर का दायित्व विधिक रूप से माना गया। उन तथ्यों से भी यह निष्कर्षित है कि जो माल राज्य के भीतर खरीद किया जाता है उस माल पर ही क्रय कर का दायित्व बनता है क्योंकि उस प्रकरण में प्रिंसिपल द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर माल ट्रांसफर करने के बाद एजेन्ट के खाते में ट्रांसफर किया था अतः यह उस एजेन्ट की राजस्थान राज्य के भीतर खरीद थी इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथ्यों को गलत समझते हुए इस निर्णय का आश्रय लिया है वह अनुचित है।

लगातार..............7

14. कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा ज्ञायक मार्केटिंग के मामले में **अपील संख्या 62/2008 निर्णय दिनांक 16.03.2012** का जो हवाला दिया गया है उसमें निश्चय ही कर बोर्ड द्वारा अन्तर्राज्यीय खरीद पर भी क्रय कर आरोपण को विधिसम्मत माना था परन्तु बाद में ज्ञायक मार्केटिंग बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाड़ा के पुनः इसी फर्म के मामले में समान तथ्यों पर **अपील संख्या 759-761/2013/बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 06.01.2016** में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2012 को उलटते (Reverse) हुए एवं उक्त आदेश का हवाला देते हुए तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 286(2), माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **12 एस.टी.सी. 441 एवं 87 एस.टी.सी. 196** के सिद्धान्तों के आलोक में यह निर्णीत किया गया कि अन्तर्राज्यीय खरीद पर राज्य के भीतर राज्य के अधिनियम के तहत कोई भी कर आरोपित नहीं किया जा सकता। माननीय खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 2232/2006/बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 26.7.2012** का भी हवाला दिया गया जिसमें अन्तर्राज्यीय खरीद पर क्रय कर के आरोपण को अविधिक ठहराया जा चुका था। यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर बोर्ड के निर्णय, जो कि अपील संख्या 62/2008 निर्णय दिनांक 16.03.2012 का आश्रय लिया गया है जबकि उस निर्णय को उसी फर्म मैसर्स ज्ञायक मार्केटिंग के मामले में ही अपील संख्या 2232/2006 में दिनांक 26.07.2012 को उलटते हुए पूर्व के निर्णय को त्रुटिपूर्ण घोषित कर दिया गया था। इस तरह राजस्थान कर बोर्ड के **अपील संख्या 2232/2006 निर्णय दिनांक 26.7.2012, अपील संख्या 759-761/2013/बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 6.01.2016** एवं उसके पश्चात् पुनः कर बोर्ड द्वारा **सहायक आयुक्त, वृत-ए, कोटा बनाम यश एन्टरप्राईजेज निर्णय दिनांक 11.05.2016** में यह निर्णय किया जा चुका है कि अन्तर्राज्यीय खरीद के मामलों में राज्य के अधिनियम के तहत क्रय कर का आरोपण नहीं किया जा सकता। इस तरह केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों एवं भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह विधिक स्थिति उभरती है कि राज्य के वेट अधिनियम के तहत केवल राज्य के भीतर की गई खरीद एवं बिक्री पर ही कर के आरोपण किये जाने की शक्तियां दी हुई है जबकि अन्तर्राज्यीय खरीद एवं विक्रय के मामलों में कर का आरोपण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत ही किया जा सकता है। अतः राज्य के बाहर से की गई खरीद को पुनः स्टॉक ट्रांसफर करने की स्थिति में राज्य के अधिनियम के तहत किसी भी तरह के कर का आरोपण नहीं किया जा सकता।

लगातार..............8

15. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थी व्यवहारी की पांचों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य